## दिनांक–16.04.2013 को विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग की अध्यक्षता में मुख्य अभियंता, राँची प्रक्षेत्राधीन योजनाओं की समीक्षा हेतु सम्पन्न बैठक की कार्यवाही

**(1) सुकरी जलाशय योजना (टर्न–की) (जिला – लोहरदगा, प्रखण्ड – किस्कू)**

**संवेदक – पालू कन्सट्रक्शनस**

- प्रशासनिक स्वीकृति– रू0 935.00 लाख है।
- वर्ष 2011–12 तक व्यय– रू0 348.447 लाख
- वर्ष 2012–13 में आवंटन– रू0 330.00 लाख
- मार्च 2013 तक व्यय– रू0 173.56 लाख
- सिंचाई क्षमता – 400.00 हे0

| | |
|---|---|
| **कार्य की प्रगति** – वर्त्तमान में अभी तक हेडवर्क में 65% कार्य हुआ है। हेडवर्क्स का भू–अर्जन कार्य हो गया है। मुख्य नहर की लम्बाई साढ़े छः कि0मी0, जलश्राव 17–90 क्यूसेक है जिसका भू–अर्जन का कार्य अन्तिम चरण में है।<br><br>योजना में वितरणी नहीं है, केवल उप वितरणी (Minors) का निर्माण किया जाना है। योजना को जून 2013 तक पूर्ण करने का कार्यक्रम है। स्थानीय कारणों से अभी कार्य बन्द है। 17.04. 2013 को Agency से मुख्य अभियंता द्वारा वार्त्ता की जायेगी। शीघ्र कार्य प्रारंभ करने का प्रयास किया जा रहा है। जून 2013 तक 100 हे0 तथा दिसम्बर 2013 तक 300 हे0 तथा मार्च 2014 तक पूर्ण सिंचाई क्षमता 400 हे0 में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा सकेगी। | **निदेश–**<br><br>(i) मुख्य अभियंता, राँची कार्ये को अविलम्ब प्रारम्भ कराने का प्रयास करें।<br><br>(ii) कार्य को हर हालत में 31 मई 2013 तक पूरा कराया जाय और योजना से अगले खरीफ में लक्ष्य के अनुसार सिंचाई प्रारम्भ की जाय।<br>**(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची )** |

**(2) काँटी जलाशय योजना (टर्न–की) (जिला – खूँटी , प्रखण्ड – कर्रा)**

**संवेदक – त्रिवेणी इन्जिकॉन प्राईवेट लिमिटेड, जमशेदपुर**

- प्रशासनिक स्वीकृति– रू0 11316.528 लाख
- वर्ष 2011–12 तक व्यय– रू0 0.46 लाख
- वर्ष 2012–13 में आवंटन– शून्य
- मार्च 2013 तक व्यय– शून्य

| | |
|---|---|
| इस योजना में डैम, स्पीलवे, आउटलेट एवं नहर का निर्माण टर्न–की पर किया जाना था। जन विरोध के कारण यह योजना बन्द | **निदेश–** माननीय उच्च न्यायालय में संवेदक द्वारा दायर किये गये याचिका के विरुद्ध ठोस साक्ष्य जमा कर मुस्तैदी से विभाग के तरफ से प्रतिशपथ–पत्र |

| | |
|---|---|
| करने की विभागीय सहमति दी जा जा चुकी है। इस संबंध में संवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में मामला दायर किया गया है। Matter अब Sub-judice हो गया है।<br>पिछली बैठक 27.02.2013 में विशेष सचिव द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में अभियंता प्रमुख–I के द्वारा संवेदक एवं क्षेत्रीय अभियंताओं के साथ दिनांक– 23.03.2013 को बैठक कर विभागीय स्तर पर इसकी समीक्षा की गई। बैठक में यह सहमति बनी कि चूँकि Matter Sub-judice है, अतः विभाग द्वारा अभी न्यायालय के बाहर कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। | दायर किया जाय और उसकी मोनिटरिंग की जाय।<br>**(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची / संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) / अभियंता प्रमुख–I)** |

**(3) राढू जलाशय योजना (जिला– राँची, प्रखण्ड– सिल्ली)**

Consultant – Aarvee Consultant, Hyderabad

**कार्य का नाम** – राढू जलाशय योजना का विस्तृत सर्वेक्षणोपरांत डी0पी0आर0 तैयार करने का कार्य।

यह एक नई प्रस्तावित योजना है जिसका सर्वे करा कर डी0पीआर0 कन्सलटेन्ट द्वारा तैयार किया गया है।

- प्रशासनिक स्वीकृति– रू0 145.00 लाख है।
- वर्ष 2011–12 तक व्यय– रू0 78.74 लाख
- वर्ष 2012–13 में आवंटन– रू0 66.26 लाख
- मार्च 2013 तक व्यय– रू0 0.00 लाख

| | |
|---|---|
| (i) सी0डब्लू0सी0, नई दिल्ली को डी0पी0आर0 की 12 प्रतियाँ उपलब्ध करा दी गयी है।<br>(ii) इस योजना का सी0सी0ए0 10,000हे0 से कुछ अधिक है। यह एक वृहत् योजना है इसलिए सी0डब्लू0सी0 से Clearance कराना है। योजना हेतु MOEF Clearance और MOTA Clearance भी प्राप्त करना है।<br>(iii) इस योजना का विभिन्न अवयवों का Design-Drawing की हार्ड कॉपी एवं Soft Copy केन्द्रीय रूपांकण संगठन, राँची (CDO) को उपलब्ध करा दिया गया है, जिसकी जाँच उनके द्वारा की जा रही है। | **निदेश** –<br>(i) C.D.O. राँची को उपलब्ध कराये गये Design-Drawing की जाँच कर अनुमोदित करते हुए अपने Comments के साथ 15 दिनों के अन्दर C.W.C. New Delhi को उपलब्ध कराया जाय।<br>(ii) सी०डब्लू०सी० के सभी 9 अद्द डायरेक्टोरेट से DPR की जाँच करायी जानी है, इसे शीघ्र पूरा कराकर CWC से Clearance प्राप्त किया जाय।<br>(iii) वनभूमि अपयोजन के बारे में अविलम्ब कार्रवाई की जाय। मुख्य अभियंता, राँची स्वयं इसका मोनिटरिंग करें। |

| | |
|---|---|
| | (iv) अधीक्षण अभियंता, डा0 डी0के0सिंह C.W.C. N. Delhi से सम्पर्क कर इसे Expedite करायेंगे और मुख्य अभियंता, राँची को हर पन्द्रह दिन पर प्रगति से अवगत करायेंगे।<br>(v) मुख्य अभियंता, राँची द्वारा कार्य के संवेदक Aarvee Consultant के साथ हर पन्द्रह दिन पर बैठक कर प्रगति की समीक्षा की जाय।<br>**(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची / मुख्य अभियंता, रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची / अधीक्षण अभियंता, रूपांकण आयोजन एवं मोनिटरिंग अंचल, राँची। )** |

**(4) कीता सिंचाई योजना का पुनर्स्थापन कार्य (जिला– राँची, प्रखण्ड– सिल्ली)**

- संवेदक – अवधेश सिंह कन्सट्रक्सन
- प्रशासनिक स्वीकृति– रू0 264.98 लाख है। (19.11.2010)
- वर्ष 2011–12 तक व्यय– रू0 30.00 लाख
- वर्ष 2012–13 में आवंटन– रू0 130.00 लाख
- वर्ष 2012–13 में व्यय– रू0 18.74 लाख
- योजना की सिंचाई क्षमता – 220 हे0

| | |
|---|---|
| **कार्य की प्रगति** – इस योजना में मुख्यतः मुख्य नहर के लाईनिंग का कार्य कराना है।<br>कुल 5.50 कि0मी0 में से मार्च 2013 तक 1.72 कि0मी0 में कार्य कराया गया है।<br>संवेदक द्वारा दो Mixer मशीन से कार्य कराया जा रहा है, जिसकी संख्या बढ़ाई जायेगी और कार्य को जून 2013 तक पूर्ण करने का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। | **निदेश** –<br>(i) कार्य स्थल पर Mixer मशीनों की संख्या बढ़ाई जाय। कम से कम छः Mixer मशीन लगाकर कार्य कराया जाय और जून 2013 तक कार्य हर हालत में पूर्ण कराया जाय।<br>(ii) Pace of Work पर्याप्त है कि नहीं इसकी समीक्षा की जाय। कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रतिदिन कार्य के प्रगति की Monitoring की जाय।<br>**(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची / कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्र0, राँची )** |

**(5) नन्दनी जलाशय योजना – (जिला– लोहरदगा, प्रखण्ड– भन्डरा)**

- कार्य – चेन 92.00 पर क्षतिग्रस्त एक्वाडक्ड का जिर्णोद्धार कार्य
- प्रशासनिक स्वीकृति– रू0 57.019 लाख है। (मार्च 2012)
- वर्ष 2011–12 तक व्यय– रू0 19.11 लाख
- वर्ष 2012–13 में आवंटन– रू0 38.42 लाख

- वर्ष 2012–13 में व्यय– रू० 20.32 लाख
- योजना की सिंचाई क्षमता – 3250.00 हेक्टेयर

| | |
|---|---|
| मुख्य अभियंता द्वारा बताया गया कि<br>(i) संरचना कार्य की प्रगति धीमी रहने के कारण मार्च 2013 तक कार्य पूरा नहीं हो सका। इसे जून 2013 तक हर प्रकार से पूर्ण करा लिया जायेगा। | निदेश–<br>(i) संरचना कार्य हर हालत में जून 2013 तक पूर्ण कराया जाय। इस अवधि में कार्य पूर्ण नहीं होने पर इसके लिये जिम्मेवार के विरूद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।<br>(ii) अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, राँची द्वारा कार्य का लगातार मोनिटरिंग किया जाय।<br>**(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची /अधीक्षण अभियंता, जल पथ अंचल, राँची)** |

**<u>(6) पारस जलाशय योजना</u> – (जिला गुमला प्रखण्ड – भरनो)**

- सिंचाई क्षमता – 3400.00 हेक्टेयर

| | |
|---|---|
| (i) सर्वे कार्य कराकर प्रमण्डल द्वारा इस योजना के पुनर्स्थापन कार्य हेतु प्राक्कलन तैयार किया गया है। Final DPR 15 मई 2013 तक तैयार हो जायेगा। | निदेश– (i) मुख्य अभियंता जाँच लें कि डी०पी०आर० AIBP के Guide line के अनुसार है कि नहीं।<br>(ii) AIBP के तहत ERM योजना की स्वीकृति हेतु स्वीकार्य डी0पी0आर0 ही 20 मई 2013 तक विभाग को भेजा जाय।<br>**(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची )** |

**<u>(7) बुचा ओपा जलाशय योजना</u> – (जिला – लोहरदगा प्रखण्ड – चान्हो)**

- सिंचाई क्षमता – 775 हे0

| | |
|---|---|
| इस योजना में Shaft Spillway है, जो ठीक है। योजना के पुनर्स्थापन कार्य का प्राक्कलन तैयार हो गया है, जो अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, राँची के स्तर पर जाँच की प्रक्रिया में है। | निदेश– मुख्य अभियंता, राँची/अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, राँची के साथ स्थल का निरीक्षण 17.04.2013 को कर लें एवं योजना के पुनर्स्थापन कार्य का प्राक्कलन एक सप्ताह में विभाग को समर्पित करें। यह देख लें कि बाँध के Shaft Spillway का Trash Rack ठीक से काम कर रहा है कि नहीं।<br>**(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, ज० सं० वि०, राँची/अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, राँची )** |

**<u>(8) धुर्वा कॉलोनी का मरम्मति कार्य एवं बाउण्ड्री वॉल का निर्माण कार्य –</u>**

प्रशासनिक स्वीकृति की राशि – रू0 56.00 लाख

➢ वर्ष 2012–13 में व्यय– रू० 20.32 लाख

➢ योजना की सिंचाई क्षमता – 3250.00 हेक्टेयर

| | |
|---|---|
| मुख्य अभियंता द्वारा बताया गया कि<br>(i) संरचना कार्य की प्रगति धीमी रहने के कारण मार्च 2013 तक कार्य पूरा नहीं हो सका। इसे जून 2013 तक हर प्रकार से पूर्ण करा लिया जायेगा। | निदेश–<br>(i) संरचना कार्य हर हालत में जून 2013 तक पूर्ण कराया जाय। इस अवधि में कार्य पूर्ण नहीं होने पर इसके लिये जिम्मेवार के विरूद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।<br>(ii) अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, राँची द्वारा कार्य का लगातार मोनिटरिंग किया जाय।<br>**(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची /अधीक्षण अभियंता, जल पथ अंचल, राँची)** |

**(6) पारस जलाशय योजना – (जिला गुमला प्रखण्ड – भरनो)**

➢ सिंचाई क्षमता – 3400.00 हेक्टेयर

| | |
|---|---|
| (i) सर्वे कार्य कराकर प्रमण्डल द्वारा इस योजना के पुनर्स्थापन कार्य हेतु प्राक्कलन तैयार किया गया है। Final DPR 15 मई 2013 तक तैयार हो जायेगा। | निदेश– (i) मुख्य अभियंता जाँच लें कि डी०पी०आर० AIBP के Guide line के अनुसार है कि नहीं।<br>(ii) AIBP के तहत ERM योजना की स्वीकृति हेतु स्वीकार्य डी0पी0आर0 ही 20 मई 2013 तक विभाग को भेजा जाय।<br>**(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची )** |

**(7) बुचा ओपा जलाशय योजना – (जिला – लोहरदगा प्रखण्ड – चान्हो)**

➢ सिंचाई क्षमता – 775 हे0

| | |
|---|---|
| इस योजना में Shaft Spillway है, जो ठीक है। योजना के पुनर्स्थापन कार्य का प्राक्कलन तैयार हो गया है, जो अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, राँची के स्तर पर जाँच की प्रक्रिया में है। | निदेश– मुख्य अभियंता, राँची/अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, राँची के साथ स्थल का निरीक्षण 17.04.2013 को कर लें एवं योजना के पुनर्स्थापन कार्य का प्राक्कलन एक सप्ताह में विभाग को समर्पित करें। यह देख लें कि बाँध के Shaft Spillway का Trash Rack ठीक से काम कर रहा है कि नहीं।<br>**(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, ज० सं० वि०, राँची/अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, राँची )** |

**(8) धुर्वा कॉलोनी का मरम्मति कार्य एवं बाउण्ड्री वॉल का निर्माण कार्य –**

प्रशासनिक स्वीकृति की राशि – रू0 56.00 लाख

| | |
|---|---|
| प्रशासनिक स्वीकृति हो गया है। इस सप्ताह में उक्त कार्य हेतु निविदा आमंत्रित कर दी जायेगी। | **निदेश** – निविदा प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर निविदा निष्पादित किया जाय और शीघ्र कार्य प्रारम्भ कराया जाय।<br>(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची ) |

**(9) काँची वीयर शीर्ष का पुनर्निर्माण कार्य (जिला – खूँटी, प्रखण्ड – अड़की)**

- संवेदक – मेगोटिया कन्सट्रक्सन प्रा०लि०, जमशेदपुर
- प्रशासनिक स्वीकृति– रू0 909.62 लाख है। (10.07.2009)
- वर्ष 2011–12 तक व्यय– रू0 632.21 लाख
- वर्ष 2012–13 में आवंटन– रू0 385.58 लाख
- वर्ष 2012–13 में व्यय– रू0 225.03 लाख
- कार्य को मई 2013 तक पूर्ण करने का कार्यक्रम है।
- सिंचाई क्षमता – 16000 हे0

| | |
|---|---|
| मुख्य अभियंता, राँची द्वारा बताया गया कि मार्च 2013 कार्य पूरा नहीं हो पाया। Weir के Top पर एक फीट कन्क्रीट कार्य शेष है तथा Cutoff की ढुलाई बाकी है। कार्य अभी बन्द है। कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्उल, बुण्डू द्वारा बताया गया कि योजना कार्य 31 मई 2013 तक पूरा हो जायेगा। | **निदेश** – (i) कार्य हर हालत में मई 2013 तक पूर्ण कराया जाय इस संबंध में कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, बुण्डू से Undertaking लेकर मुख्य अभियंता, राँची विभाग को उपलब्ध करायेंगे और 31 मई 2013 तक कार्य पूरा नहीं होने पर कार्यपालक अभियंता पर उत्तरदायित्व Fix करते हुए विभाग को सूचित करेंगे।<br>(ii) 31 मई 2013 तक कार्य को पूरा करने का मात्रा सहित साप्ताहिक कार्यक्रम तैयार कर कार्यपालक अभियंता, विभाग को मुख्य अभियंता के माध्यम से समर्पित करेंगे। मुख्य अभियंता द्वारा इसकी साप्ताहिक समीक्षा की जाय।<br>(iii) प्रभारी अधीक्षण अभियंता नियमित रूप से Site visit कर कार्य की प्रगति पर नजर रखेंगे।<br>(iv) खरीफ 2013 में इस योजना से सिंचाई सुविधा पुनर्बहाल करने का निदेश दिया गया।<br>**(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, ज० सं० वि०, राँची / कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्र०, बुण्डू)** |

**(10) काँची मुख्य नहर का Lining सहित पुनरर्थापन कार्य**

- संवेदक – ब्रारविन्स कन्सट्रक्सन प्रा०लि, हैदराबाद
- निविदित राशि – रू० 3712.665 लाख

| | |
|---|---|
| कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, बुण्डू द्वारा बताया गया कि संवेदक द्वारा एकरारनामा अभी तक नहीं किया गया है | **निदेश** – संवेदक को पुनः नोटिस दिया जाय। अविलम्ब एकरारनामा कर कार्य प्रारम्भ कराना सुनिश्चित किया जाय। समय सीमा के अन्दर |

| | |
|---|---|
| | कार्य पूरा करने हेतु संवेदक से कार्यक्रम भी प्राप्त कर लिया जाय।<br>(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, ज० सं० वि०, राँची ) |

**(11) सुरंगी जलाशय योजना (जिला – राँची, प्रखण्ड – तमाड़)**

- प्रशासनिक स्वीकृति– रू0 4117.30 लाख है। (18.01.2001)
- वर्ष 2011–12 तक व्यय– रू0 4466.082 लाख
- वर्ष 2012–13 में आवंटन– रू० 71.06 लाख
- मार्च 2013 तक व्यय– रू० 54.60 लाख
- सिंचाई क्षमता – 2600 हेक्टेयर

| | |
|---|---|
| (i) मुख्य अभियंता, यॉंत्रिक, राँची द्वारा बताया गया कि गेट मरम्मति का कार्य पुनः प्रारम्भ करा दिया गया है। Embedded parts का कुछ कार्य बाकी है। गेट के Groove के पास Packing का कार्य शेष है। Leakage अभी भी हो रहा है।<br>(ii) कार्यपालक अभियंता, सिंचाई यॉंत्रिक प्रमण्डल, राँची द्वारा बताया गया कि सुरंगी का H/R gate एवं सभी Under Sluice gate का कार्य 31 मई 2013 तक पूरा हो जायेगा।<br>(iii) कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, बुण्डू द्वारा बताया गया कि नागासरीन वितरणी का N.H. Crossing पर पुल निर्माण हेतु Design Data एन०एच०ए०आई० को भेज दिया गया है। NH-33 विभाग के नहरों को कई जगह Cross करता है। सभी जगह का Design-data NHAI को उपलब्ध करा दिया गया है।<br>(iv) मार्च 2013 तक 1000 हेक्टेयर एवं जून 2013 तक 2000 हे0 तथा जून 2014 तक पूरी क्षमता में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। | निदेश –<br>(i) अभियंता प्रमुख–I द्वारा किये गये निरीक्षण के क्रम में दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और फलाफल से विभाग को अवगत कराया जाय।<br>(ii) गेट मरम्मति का कार्य 31 मई तक पूर्ण कराने का निदेश दिया गया।<br>(iii) क्षेत्रीय पदाधिकारी NH Authority से सम्पर्क कर पुल निर्माण के कार्यान्वयन हेतु कार्रवाई करें और विभाग को अवगत करावें। NH के Widening के कारण योजना के तमाड़ वितरणी के स्वरूप में कोई बदलाव न हो इसका पूरा ध्यान रखा जाय। इसके लिये NHAI को लगातार पत्र लिखा जाय। मुख्य अभियंता, राँची भी आश्वस्त हो लें।<br>(iv) योजनान्तर्गत वनभूमि के Stage-II Clearance के लिए Stage-I Clearance की सभी शर्त्तों का अनुपालन प्रतिवेदन तुरन्त नोडल ऑफिसर, वन एवं पर्यावरण विभाग, राँची को भेजें और विभाग को भी सूचित करें।<br>(v) सिंचाई प्रमण्डल बुण्डू का कार्यालय एवं शिविर का Sign Board लगाने का निदेश दिया गया।<br>(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, यॉंत्रिक, राँची / मुख्य अभियंता, ज० सं० वि०, राँची ) |

**(12) रैसा जलाशय योजना (जिला – राँची, प्रखण्ड – बुण्डू)**

- संवेदक – विजेता इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड, मोराबादी, राँची (शीर्ष कार्य)
- प्रशासनिक स्वीकृति– रू0 6778.42 लाख है। (10.07.2009)
- वर्ष 2011–12 तक व्यय– रू0 2688.55 लाख
- वर्ष 2012–13 में आवंटन– रू0 1500.00 लाख
- वर्ष 2012–13 तक व्यय– रू० 1427.74 लाख
- योजना को वर्ष 2013–14 तक पूर्ण करने का कार्यक्रम है।
- सिंचाई क्षमता – 3140 हे0

**कार्य की प्रगति**

| | |
|---|---|
| (i) मिट्टी बाँध का निर्माण कार्य प्रगति पर है।<br>(ii) स्पिलवे Right Abutment का कार्य प्रगति पर है Foundation Level हो गया है।<br>(iii) योजना के डूब क्षेत्र में 447 एकड़ मुंडारी खूँटकट्टी जमीन के बारे में भू–राजस्व विभाग से परामर्श प्राप्त हुआ है कि अगर मुंडारी खूँटकट्टी जमीन Forest Notified हो गया है तो इसका अपयोजन करना होगा।<br>(iv) मुख्य अभियंता, राँची द्वारा बताया गया कि डूब क्षेत्र में तथाकथित वनभूमि पर रैयतों का दावा है एवं Lower Court से उनके पक्ष में फैसला दिया गया है, जिसके विरूद्ध वन विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में मामला दायर किया गया है।<br>(v) कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि ग्रामिणों को समझा बुझाकर मुख्य नहरों का सर्वेक्षण कार्य शुरू कर दिया गया है, जो अप्रिल 2013 तक पूरा हो जायेगा। बताया गया कि 15 मई 2013 तक I.R. तैयार हो जायेगा। बाँयीं मुख्य नहर (LMC) जिसका जलश्राव 40 क्यूसेक है, के I.R. की स्वीकृति S.E. 25 मई तक करेंगे तथा RMC (140 क्यूसेक) का I.R C.E. 20 मई तक करेंगे। जून 2013 तक Main Canal के L.A. का Plan Submit कर दिया जायेगा। | **निदेश** –(i) AIBP के अन्तर्गत Funding की स्वीकृति के क्रम में जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उठाये गये विन्दुओं का अनुपालन प्रतिवेदन अविलम्ब विभाग को समर्पित किया जाय।<br>(ii) Mechanical wing द्वारा Outlet well का निरीक्षण करके आवश्यक कार्यों की समीक्षा अभी कर ली जाय ताकि बाद में गेट लगाने समय कोई अड़चन न हो। कार्यपालक अभियंता, याँत्रिक, यथाशीघ्र site visit कर लें और अपने उच्चाधिकारियों को प्रतिवेदित करें।<br>(iii) न्याय निर्णय के उपरान्त आवश्यकता पड़ने पर वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव तुरन्त तैयार किया जाय। क्षतिपूरक गैर वन भूमि का प्रस्ताव गुमला में चिन्हित Land Bank से किया जाय।<br>(iv) मुख्य नहरों के I.R. की स्वीकृति एवं भू–अर्जन प्लान समर्पित करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मुख्य अभियंता द्वारा सत्त मोनिटरिंग की जाय।<br><br>**(कार्रवाई : कार्यपालक अभियंता सिंचाई प्र०, बुण्डू /कार्यपालक अभियंता, यॉँत्रिक प्र०, राँची /अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, राँची /मुख्य अभियंता, ज० सं० वि०, राँची )** |

(13) काँची सिंचाई योजना में CAD का कार्य –

- वर्ष 2012–13 में आवंटन – रू० 50.00 लाख
- वर्ष 2012–13 में व्यय – रू० 5.39 लाख
- कार्य पूरा करने की एकरारित तिथि –
- एकरारनामा की राशि – रू० 158.00 लाख
- मार्च 2013 तक व्यय – रू० 10.24 लाख

| | |
|---|---|
| WAPCOS द्वारा इस कार्य का डी0पी0आर0 तैयार किया जा रहा है, जो अब तक तैयार नहीं हुआ है। अधीक्षण अभियंता, डा0 डी0के0 सिंह द्वारा बताया गया कि WAPCOS के साथ वे बराबर सम्पर्क में हैं और WAPCOS द्वारा जून 2013 तक Final DPR समर्पित कर दिया जायेगा। डॉ0 डी0के0सिंह द्वारा बताया गया कि Water User Association अभी तक Registered नहीं हुआ है और इसके बिना CAD का Implementation नहीं हो पायेगा। | निदेश – (i) WAPCOS के कार्यों की प्रगति से डॉ0 डी0के0सिंह, मुख्य अभियंता, राँची को अवगत करायेंगे और मुख्य अभियंता समीक्षोपरान्त विभाग को प्रतिवेदित करेंगे।<br>(ii) कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, बुण्डू Water User Association के formation एवं registration हेतु अविलम्ब कार्रवाई करेंगे। **(कार्रवाई:मुख्य अभियंता, ज०सं०वि०,राँची/अधीक्षण अभियंता, डॉ डी०के०सिंह/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्र०, बुण्डू)** |

(14) कोकरो सिंचाई योजना (लाईनिंग) (जिला – राँची , प्रखण्ड –सोनाहातू)

- प्रशासनिक स्वीकृति – रू0 1102.868 लाख है। (22.01.2011)
- एकरारनामा की राशि – 1293.69 लाख
- वर्ष 2011–12 तक व्यय – रू0 159.97 लाख
- वर्ष 2012–13 में आवंटन – रू0 250.00 लाख
- वर्ष 2012–13 में व्यय – रू० 220.86 लाख
- सिंचाई क्षमता – 3490 हे०, FSD –4 फीट, Discharge – 110 क्यूसेक
- कार्य पूर्ण करने की एकरारित तिथि – 31.03.2013

कार्य की प्रगति –

| | |
|---|---|
| (i) योजना में मुख्यतः मुख्य नहर के लाईनिंग का कार्य है। मुख्य अभियंता, राँची द्वारा बताया गया कि प्रगति धीमी है। कुल 16.40 कि०मी० के लाईनिंग कार्य में से 3.80 कि०मी० का कार्य कराया गया है। संवेदक को नोटिस दिया गया है, स्पष्टीकरण पूछा गया है एवं कार्य को जून 2013 तक पूर्ण करने का Undertaking माँगा गया है। | निदेश – (i) कार्य में तेजी लाई जाय। संवेदक को संसाधन बढ़ाने का निदेश दिया जाय और जून 2013 तक हर हालत में कार्य पूर्ण कराया जाय। संवेदक से पूछे गये स्पष्टीकरण एवं माँगें गये Undertaking के संबंध में मुख्य अभियंता अपने मन्तव्य के साथ विभाग को फलाफल से अवगत करायेंगे। |

| | |
|---|---|
| (ii) संवेदक द्वारा कार्यस्थल पर 4 लॉरी लगाकर कार्य कराया जा रहा है। प्रत्येक लॉरी द्वारा 60 मीटर लाईनिंग का कार्य किया जाता है। | (कार्रवाई : मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची /कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्र०, बुण्डू) |

**(15) तजना जलाशय योजना (टर्न–की) (जिला – खूँटी, प्रखण्ड–खूँटी)**

- प्रशासनिक स्वीकृति – रू0 7441.76 लाख है। (22.02.2008)
- वर्ष 2011–12 तक व्यय – रू0 0.23 लाख
- वर्ष 2012–13 में आवंटन – रू० 5.00 करोड़ (भू–अर्जन हेतु)
- मार्च 2013 तक व्यय – रू० 5.00 करोड़
- योजना को वर्ष 2014–15 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।
- सिंचाई क्षमता – 5600 हे0

| | |
|---|---|
| **कार्य की प्रगति –**<br>(i) Dam Axis अगस्त 2012 में Fix कर दिया गया है।<br>(ii) भू–अर्जन का प्रस्ताव विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी को समर्पित है।<br>(iii) योजना के स्थल के पास कुछ लोगों द्वारा अवैध खनन किया जाता है, उन्हीं के द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है। मुख्य अभियंता, राँची द्वारा बताया गया कि वे उपायुक्त खूँटी से मिलकर उन्हें स्थिति से अवगत करा चुके हैं अनुरोध किया गया कि विभाग के स्तर से उपायुक्त खूँटी को पत्र लिखा जाना श्रेयस्कर होगा।<br>(iv) योजना के भू–अर्जन कार्य हेतु रू0 5.00 करोड़ की राशि मार्च 2013 में विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी को उपलब्ध करा दी गयी है। | **निदेश** – (i) कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, खूँटी (श्री संजीत जॉन होरो) को निदेश दिया गया कि वे ग्रामिणों से मिलकर उन्हें योजना के लाभ से अवगत करावें तथा ग्रामीणों को Motivate कर कार्य प्रारम्भ करावें।<br>(ii) उपायुक्त, खूँटी को प्रधान सविच के स्तर से पत्र भेजा गया है।<br>(iii) भू–अर्जन की प्रक्रिया को अवलिम्ब आगे बढ़ाया जाय।<br>(iv) गैर मजरूआ जमीन में कार्य प्रारम्भ कराने हेतु उपायुक्त, खूँटी से NOC प्राप्त की जाय।<br>**(कार्रवाई : कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्र0, खूँटी/मुख्य अभियंता, ज० सं० वि०, राँची )।** |

**(16) लतरातु जलाशय योजना का ERM कार्य (जिला – खूँटी, प्रखण्ड– कर्रा, लापुंग)**

| | |
|---|---|
| (i) सर्वे कार्य हो गया है। प्राक्कलन तैयार किया गया है। Hydrology की जाँच की जा रही है।<br>सिंचाई क्षमता – खरीफ – 5254 हे0 | **निदेश** – (i) योजना का ERM का प्रस्ताव CWC को समर्पित करने हेतु CWC के Guideline के अनुसार DPR शीघ्र तैयार कराकर विभाग को समर्पित किया जाय।<br>**(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची )** |

## (17) अपरशंख जलाशय योजना (जिला – गुमला, प्रखण्ड – चैनपुर )

- प्रशासनिक स्वीकृति – रू० 14119.00 लाख है। (30.03.2007)
- वर्ष 2011–12 तक व्यय – रू० 13607.48 लाख
- वर्ष 2012–13 में आवंटन – रू० 239.45 लाख
- वर्ष 2012–13 में व्यय – रू० 166.65 लाख
- योजना को वर्ष 2013–14 तक पूर्ण करने का कार्यक्रम है।
- सिंचाई क्षमता – 7000 हे0

| कार्य की प्रगति – | निदेश – |
| --- | --- |
| (i) मुख्य शीर्ष का कार्य पूर्ण है।<br>दाँयीं एवं बाँयीं मुख्य नहर का कार्य पूर्ण है।<br>(ii) आउटलेट गेट से पानी का रिसाव हो रहा है। गेटों का मरम्मति कराकर इसके सुचारू रूप से संचालन हेतु E.o.I. निकाला गया, जिसमें प्रथम बार किसी Agency के द्वारा भाग नहीं लिया गया। पुनः E.o.I निकाला गया है। | (i) E.o.I. का शीघ्र निष्पादन कर गेट मरम्मति का कार्य अविलम्ब प्रारम्भ कराया जाय। |
| (iii) बाँयीं मुख्य नहर साइफन के एक Joint से लिकेज हो रहा है। Syphon की लम्बाई 15 मीटर है, जिसमें Man hole नहीं है। Syphon का dia 4 फीट है। Joint से लगभग 20 क्यूसेक पानी का लिकेज हो रहा है। कार्य का एकरारनामा चालू है। | (ii) साइफन से लिकेज ठीक कराया जाय। संवेदक अगर नहीं ठीक कराते हैं तो एकरारनामा की शर्त्तों के आलोक में कार्रवाई की जाय।<br>आगामी मानसून के पूर्व साइफन लिकेज को हर हालत में ठीक कराया जाय ताकि सिंचाई कार्य में कोई बाधा न हो। |
| (iv) बाँयीं मुख्य नहर LMC से निःसृत सभी 6 वितरणियों के भू–अर्जन का प्रस्ताव समर्पित कर दिया गया है। चार वितरणियों का L.A धारा–4 में है तथा दो वितरणियों का L.A धारा–12 में है। एक वितरणी का कार्य पूर्ण है।<br>(v) दाँयीं मुख्य नहर (RMC) के 4 वितरणियों में भू–अर्जन अंतिम चरण में है। 70% भू–मुआवजा का भुगतान हो चुका है। एक वितरणी ( DL5) के भू–अर्जन की कार्रवाई धारा–11 में चल रही है।<br>(vi) साइफन से लिकेज के कारण LMC से सिंचाई नहीं हो रहा है।<br>(vii) **सिंचाई क्षमता**<br>बाँयीं मुख्य नहर (LMC) – 4500 हे0<br>दाँयीं मुख्य नहर (RMC) – 2790 हे0 | (iii) मुख्य अभियंता, राँची भू–अर्जन प्रक्रिया का सतत् मोनिटरिंग करें। तथा क्षेत्रिय पदाधिकारियों द्वारा पूरा सहयोग करने हेतु उन्हें निदेशित करें।<br>जहाँ भू–अर्जन हो गया है वहाँ कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाय और जहाँ जन विरोध है, वहाँ ग्रामिणों से बैठक कर समस्या का निदान कराया जाय।<br>(iv) वितरणी संख्या DL5 के L.A. हेतु गजट प्रकाशन के लिये कार्यपालक अभियंता, उपायुक्त से मिलेंगे और फलाफल से अभियंता प्रमुख–I को अवगत करायेंगे।<br>(v) अपरशंख जलाशय योजना में शामिल शेष |

| | |
|---|---|
| लक्ष्य – (a) जून 2013 तक योजना से 2000 हे0 में सिंचाई सुनिश्चित की जायेगी।<br>(b) मार्च 2014 तक 4000 हे0 में एवं जून 2014 तक 7000 हे0 में सिंचाई सुनिश्चित की जायेगी। जून 2014 तक योजना को हर प्रकार से पूर्ण कर पूर्ण क्षमता में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। | वन भूमि अपयोजन वनभूमि के लिए क्षतिपूरक गैर वनभूमि (10 हे०) जिसका प्रस्ताव पूर्व में तेनुघाट से दिया मया है, हेतु गुमला में चिन्हित लैंड बैंक में से प्रस्ताव दिया जाय।<br>(vi) निर्धारित सिंचाई लक्ष्य के लिये मुख्य अभियंता Work Plan तैयार करेंगे और Schedule के अनुसार कार्य पूर्ण करायेंगे।<br>(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, ज० सं० वि०, राँची ) |

**(18) खतवा वीयर योजना का पुनर्स्थापन कार्य (जिला – गुमला, प्रखण्ड – गुमला )**

- प्रशासनिक स्वीकृति – रू० 60.44 लाख है।
- वर्ष 2011–12 तक व्यय – रू० 43.65 लाख
- वर्ष 2012–13 में उपलब्ध आवंटन – रू० 4.43 लाख
- मार्च 2013 तक व्यय – रू० 1.18 लाख
- सिंचाई क्षमता – 300 हेक्टेयर

| कार्य की प्रगति – बताया गया कि कार्य पूर्ण हो गया है। | निदेश – |
|---|---|
| | (i) कार्य पूर्णता का प्रतिवेदन शीघ्र भेजा जाय तथा आगामी खरीफ में पूर्ण क्षमता में सिंचाई उपलब्ध करायी जाय।<br>(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, ज० सं० वि०, राँची ) |

**(19) रामरेखा जलाशय योजना (जिला –सिमडेगा, प्रखण्ड –सिमडेगा )**

- प्रशासनिक स्वीकृति – रू० 5386.87 लाख (12.03.2003)
- वर्ष 2011–12 तक व्यय – रू० 4974.32 लाख
- वर्ष 2012–13 में उपलब्ध आवंटन – रू० 50.00 लाख
- मार्च 2013 तक व्यय – रू० 27.43 लाख
- कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य – वर्ष 2013–14
- सिंचाई क्षमता – 4000 हे०

| कार्य की प्रगति – | निदेश – |
|---|---|
| (i) शीर्ष कार्य, बाँयीं मुख्य नहर का कार्य पूर्ण है। दाँयीं मुख्य नहर में 218 चेन तक कार्य पूर्ण है और इससे 6 कि0मी0 तक सिंचाई दी जा सकेगी। दोनों मुख्य नहरों का भू–अर्जन हो गया है तथा Possession दे दिया गया है।<br>(ii) बाँयीं मुख्य नहर के दोनों वितरणी का IR स्वीकृत | (i) योजना को अक्टूबर 2013 तक पूर्ण कराने का निदेश दिया गया।<br>(ii) मुख्य अभियंता, राँची अपने स्तर से बैठक कर समीक्षा करेंगे और योजना के पूर्ण करने का Strategy तय करेंगे तथा विभाग को अवगत करायेंगे। |

| | |
|---|---|
| है। दाँयीं मुख्य नहर के चार वितरणी में से 3 वितरणी का IR स्वीकृत है। इसमें धारा–4 हेतु मापी की जा रही है। शेष एक वितरणी लोहार टोली में विवाद है।<br>(iii) मुख्य अभियंता, राँची द्वारा बताया गया कि योजना का कार्य शीघ्र पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है।<br>(iv) मार्च 2013 तक 500 हे0 में सिंचाई दी जा सकती है तथा जून 2013 के बाद 1000 हे0 में सिंचाई दी जायेगी।<br>(v) 2012–13 में आवंटित राशि का व्यय हो जायेगा। | (iii) नहर के रोड क्रॉसिंग हेतु संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर इसके कार्यान्वयन की दिशा में कार्रवाई की जाय।<br>(iv) दाँयीं मुख्य नहर के जिन संरचनाओं का नक्शा तैयार नहीं हुआ है उसे संवेदक से 30 अप्रिल 2013 तक प्राप्त कर 15 मई 2013 तक इसे स्वीकृत किया जाय।<br>(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, ज०सं०वि०,राँची ) |

## (20) कंसजोर जलाशय योजना (जिला – सिमडेगा , प्रखण्ड – सिमडेगा )

- प्रशासनिक स्वीकृति – रू0 5297.30 लाख (18.10.2001)
- वर्ष 2011–12 तक कुल व्यय – रू0 5510.620 लाख
- वर्ष 2012–13 में आवंटन (ERM) – रू0 92.46 लाख
- मार्च 2013 तक व्यय – रू0 59.98 लाख
- सिंचाई क्षमता – 3913 हेक्टेयर (फेज– I)

| | |
|---|---|
| (i) योजना के फेज–I का कार्य पूर्ण है, परन्तु Completion Report नहीं प्राप्त है। RMC में 6.63 कि०मी० तक पानी जाता है। LMC में 8 कि०मी० तक पानी जाता है, जिसमें मरम्मति एवं सम्पोषण कार्य कराकर 17.0 कि०मी० तक पानी सिंचाई हेतु उपलब्ध कराया जा सकता है, जिसके लिये 25.00 लाख रूपये की आवश्यकता है।<br>(ii) सोगरा वितरणी का भू–अर्जन धारा–6 में है, L.A. का पैसा विशेष भू–अर्जन पदाधिकारी को दे दिया गया है।<br>(iii) सैण्डी लघु नहर में चल रहे एकरारित कार्य हेतु राशि की आवश्यकता बतायी गयी।<br>(iv) मार्च 2013 तक 3000 हे० तथा जून 2013 तक 3900 हे0 सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा सकती है। | निदेश –<br>(i) मुख्य अभियंता, राँची इसकी समीक्षा करें और शीघ्र योजना कार्य पूर्ण कर Completion Report विभाग को भेजें।<br>(ii) जिन कार्यों के लिये राशि की आवश्यकता है, उसे वार्षिक कार्यक्रम में शामिल करते हुए राशि की अधियाचना विभाग को भेजी जाय।<br>(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, ज०सं०वि०,राँची ) |

## (21) चिन्दा जलाशय योजना का पुनर्स्थापन कार्य (जिला –सिमडेगा , प्रखण्ड–सिमडेगा )

- प्रशासनिक स्वीकृति – रू० 497.27 लाख (15.06.2009)
- वर्ष 2011–12 तक व्यय – रू० 331.47 लाख

➤ वर्ष 2012–13 में उपलब्ध आवंटन – रू० 173.89 लाख

➤ वर्ष 2012–13 में व्यय – रू० 170.64 लाख

➤ सिंचाई क्षमता – 1412 हेक्टेयर

| कार्य की प्रगति – | निदेश – |
|---|---|
| (i) मुख्य अभियंता द्वारा बताया गया कि कार्य पूर्ण हो गया है। | (i) मुख्य अभियंता, राँची कार्य पूर्णता का प्रतिवेदन तथा इससे पुनर्स्थापित सिंचाई क्षमता एवं उपलब्धि का प्रतिवेदन शीघ्र विभाग को उपलब्ध करायेंगे। (कार्रवाई : मुख्य अभियंता, ज०सं०वि०,राँची ) |

## (22) तपकरा जलाशय योजना –

➤ सिंचाई क्षमता :– खरीफ – 2115 हे० रब्बी – 600 हे०

➤ 2012–13 में सिंचाई – 2000 हे०

| | |
|---|---|
| मुख्य नहर (लम्बाई ..................... चेन) में 303 चेन से आगे पानी नही जाता है।<br>किन्दर केला वितरणी (लम्बाई 36 चेन) में 7 चेन के बाद कार्य अधूरा है।<br>मुख्य नहर के 0 से 60 चेन एक तरफ पहाड़ी है। पहाड़ का पानी Superpassage से नहर को Cross करता है, परन्तु Suprer Passage में Leakage के कारण पानी नीचे नहर के Side को क्षतिग्रस्त करता है।<br>मुख्य अभियंता द्वारा बताया गया कि योजना का ERM कार्य हेतु DPR तैयार किया जा रहा है। | निदेश –<br>(i) योजना के ERM कार्य का DPR CWC Guideline के अनुसार शीघ्र विभाग को समर्पित किया जाय।<br>(ii) पूर्व में CWC के दल द्वारा किये गये निरीक्षण में दिये गये निदेशों का भी ध्यान रखा जाय।<br>(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, ज०सं०वि०, राँची) |

## (23) लरवा जलाशय योजना –

➤ सिंचाई क्षमता – 300 हे०

➤ वर्ष 2012–13 में सिंचाई उपलब्धि –

| | |
|---|---|
| स्थानीय विधायक द्वारा योजना का मरम्मति कराकर पूर्ण क्षमता में सिंचाई उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। | निदेश – योजना से पूर्ण क्षमता में सिंचाई उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक मरम्मति कार्य का प्राक्कलन शीघ्र विभाग को उपलब्ध कराया जाय।<br>(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, ज०सं०वि०, राँची) |

(24) शुरू जलाशय योजना (जिला – सरायकेला खरसाँवां , प्रखण्ड –सरायकेला खरसाँवां)

- प्रशासनिक स्वीकृति – रू0 9635.32 लाख (30.03.2011)
- वर्ष 2011–12 तक व्यय – रू0 2613.97 लाख
- वर्ष 2012–13 में आवंटन – शून्य
- सिंचाई क्षमता – हेक्टेयर

| | |
|---|---|
| (i) योजना का अवशेष कार्य पूर्ण करने हेतु रू0 59.00 करोड़ की "टर्न–की" पुनर्निविदा प्राप्त हो गयी है। विभाग द्वारा कार्यावंटन की प्रक्रिया में है। | **निदेश** – कार्यावंटन होने के एक सप्ताह के अन्दर एकरारनामा कर लिया जाय एवं कार्यक्रम प्राप्त कर अविलम्ब कार्य प्रारम्भ कराया जाय। **(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, ज०सं०वि०, राँची)** |

(25) सोनुआ जलाशय योजना (जिला – प0 सिंहभूम , प्रखण्ड – सोनुआ )

- प्रशासनिक स्वीकृति – रू० 8265.00 लाख (23.03.2007)
- वर्ष 2011–12 तक व्यय – रू० 7597.58 लाख
- वर्ष 2012–13 में आवंटन – रू० 191.75 लाख
- वर्ष 2012–13 में व्यय – रू० 65.23 लाख
- सिंचाई क्षमता– खरीफ – 5400 हे०
  रब्बी – 2600 हे०

| कार्य की प्रगति – | निदेश – |
|---|---|
| (i) मुख्य नहरों का कार्य पूर्ण है।<br>(ii) बाँयीं मुख्य नहर (LMC) के वितरणियों का भू–मुआवजा भुगतान हो रहा है।<br>(iii) दाँयीं मुख्य नहर (RMC) के तीन वितरणियों का भू–अर्जन प्रक्रियाधीन है।<br>(iv) कार्यपालक अभियंता, याँत्रिक प्रमण्डल, राँची द्वारा बताया गया कि सोनुआ दाँया आउटलेट के मरम्मति हेतु निविदा निकाली गयी है। Reservoir में अभी 10 फीट पानी है<br>(v) योजना से आंशिक सिंचाई प्रारम्भ कर दी गयी है।<br>(vi) मार्च 2013 तक 1000 हेक्टेयर जून 2013 तक 2000 हे0 तथा मार्च 2014 तक पूर्ण क्षमता में सिंचाई उपलब्ध करायी जा सकती है। | (i) मुख्य अभियंता, अपने स्तर से पूरी समीक्षा करें तथा योजना कार्य को पूर्ण करने का समयबद्ध कार्यक्रम से विभाग को अवगत करावें।<br>(ii) योजना के वनभूमि अपयोजन के प्रस्ताव को पुनः Revive करने का निदेश दिया गया। वन विभाग से योजना के वनभूमि अपयोजना के प्रस्ताव के संबंध में प्राप्त पत्र की प्रति मुख्य अभियंता, राँची को हाथोंहाथ उपलब्ध करा दी गयी।<br>**(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, ज०सं०वि०, राँची)** |

(26) नकटी जलाशय योजना (टर्न–की) (जिला – सिमडेगा , प्रखण्ड – चक्रधरपुर )

- प्रशासनिक स्वीकृति – रू0 3515.910 लाख (12.03.2003)
- वर्ष 2011–12 तक व्यय – रू0 3977.47 लाख

- वर्ष 2012–13 में आवंटन – रू0 25.00 लाख
- मार्च 2013 तक व्यय – रू0 0.21 लाख
- सिंचाई क्षमता – 2250 हे0

| कार्य की स्थिति – | निदेश – |
|---|---|
| (i) शीर्ष कार्य एवं मुख्य नहरों का कार्य पूर्ण है।<br>(ii) योजना में एक ही मुख्य नहर है, जिसका कार्य पूर्ण है।<br>(iii) योजना में वितरणी नहीं है केवल छोटे–छोटे 19 Minors (उपवितरणी) है, जिसमें 1 का कार्य पूर्ण है। योजना से आंशिक सिंचाई प्रारंभ कर दिया गया है।<br>(iv) टर्न–की एजेन्सी द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है तथा कोर्ट में मामला दायर किया गया है।<br>(v) डैम में Proper Slope drain एवं Berm drain का निर्माण नहीं किया गया है। Dam Top पर Reservoir side में Parapet बना है, परन्तु Country side में नहीं बना है।<br>(vi) मार्च 2013 तक 1000 हेक्टेयर जून 2013 तक 1500 हे0 तथा मार्च 2014 तक पूर्ण क्षमता में सिंचाई उपलब्ध करायी जा सकती है। | (i) योजना का कार्य पूरा नहीं करने के कारण टर्न–की एकरारनामा की शर्त्तों के आलोक में टर्न–की एकरारनामा को कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल सं0–2, चक्रधरपुर के पत्रांक– 123 दिनांक– 15.04.2013 द्वारा Rescind कर दिया गया है।<br>(ii) कार्यपालक अभियंता को निरीक्षण वाहन नहीं है। मुख्य अभियंता, राँची को निदेश दिया गया कि on Hire वाहन रखने की अनुमति दी जाय।<br>**(कार्रवाई : मुख्य अभियंता, ज०सं०वि०, राँची)** |

**(27) कटाव निरोधक कार्य** – प्रक्षेत्राधीन सभी कटाव निरोधक कार्य पूर्ण हो गया है।

**(28) राजस्व वसूली –**

| | |
|---|---|
| (i) विभाग को विभिन्न मदों से प्राप्त होने राजस्व संतोषजनक नहीं है। सिंचाई राजस्व की वसूली हेतु सूदकार इत्यादि का कार्य कार्यपालक अभियंता के स्तर पर करने हेतु आवश्यक प्रस्ताव देंगे।<br>(ii) दक्षिण पूर्व रेलवे चक्रधरपुर द्वारा संजय नदी से पानी लिया जाता है। विभाग द्वारा एकरारनामा का प्रारूप अनुमोदित है, परन्तु दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा एकरारनामा नहीं किया जा रहा है और न ही विपत्र की राशि का भुगतान किया जा रहा है।<br>(iii) रेलवे हटिया एवं मुरी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में इस संबंध में याचिका दायर किया गया है तथा जलकर की राशि का भुगतान नहीं किया गया है।<br>(iv) चाईबासा में टाटा स्टील द्वारा अप्रिल मध्य तक एकरारनामा करने की सूचना दी गई है। | निदेश – (i) मुख्य अभियंता इस पर ध्यान देंगे तथा सभी बकाया राजस्व का आकलन कर लेंगे एवं इसकी वसूली हेतु ठोस कार्रवाई करेंगे। राजस्व वसूली की मासिक समीक्षा अवश्य की जाय।<br>(ii) Industrial Water Committee द्वारा रेलवे के साथ बैठक किया जाय तथा Water Tarrif संबंधी सभी तथ्यों को रखा जाय एवं इसके वसूली हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय।<br>(iii) सरकार द्वारा अनुमोदित Modular Agreement के अनुरूप ही Agreement किया जाय। |

| | |
|---|---|
| (v) ए०सी०सी० झींकपानी द्वारा औद्योगिक जल लिया जा रहा है। जिसके विरूद्ध वर्ष 2012–13 में रूपये 18.00 लाख का भुगतान किया गया है। | (कार्रवाई : डॉ0 डी0के0 सिंह, अधीक्षण अभियंता, रूपांकण आयोजन एवं मोनिटरिंग अंचल, राँची ) |

29. सिंचाई की समीक्षा

| | |
|---|---|
| (i) आराडीह सिंचाई योजना– अमझोरा शाखा नहर क्षतिग्रस्त है। | निदेश – (i) पुनर्स्थापन हेतु कार्रवाई की जाय। |
| (ii) रैसा वीयर योजना – कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि मरम्मति की आवश्यकता है। रूपये 10.00 लाख का कार्यक्रम है। | (ii) मरम्मति हेतु कार्रवाई की जाय। |
| (iii) विशुनपुर वीयर योजना – नहर के शुरूआत में चेन सं०–3.00 एवं 20.00 पर नहर Breach कर गया है। नहर के एक तरफ पहाड़ है और दूसरी तरफ नहर फिलिंग में है। | (iii) अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, गुमला द्वारा विशुनपुर वीयर योजना का स्थल निरीक्षण किया जाय और भविष्य में नहर Breach नही करें इसके स्थायी उपाय किये जाय |
| (iv) तपकरा जलाशय योजना, तोरलो, रोरो, सोना सिंचाई योजना की भी समीक्षा की गयी। | (iv) वार्षिक सम्पोषण एवं मरम्मति की कार्रवाई की जाय। |
| (v) पुतुंगरा वीयर योजना के डाउन स्ट्रीम कटऑफ के पास Scour हो रहा है। | (v) मरम्मति हेतु प्राक्कलन समर्पित किया जाय। |
| (vi) जेनासाई सिंचाई योजना गेट मरम्मति का प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है। | (vi) गेट मरम्मति हेतु मुख्य अभियंता, यॉंत्रिक, राँची शीघ्र कार्रवाई करेंगे। |
| (vii) विजय सिंचाई योजना एवं सोनुआ वीयर योजना इत्यादि की भी समीक्षा की गयी। | (vii) अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, चाईबासा सभी योजनाओं का स्थल निरीक्षण करेंगे एवं मुख्य अभियंता, ज०सं०वि०, राँची को प्रतिवेदित करेंगे। |

30. U can –MIS के तरफ से पथ निर्माण विभाग के सचिव को पत्र लिखा जाय कि विभाग द्वारा U can का लिस्ट तैयार कर लिया गया है तथा उनसे निदेश प्राप्त किया जाय कि इसका Official Use कैसे किया जाय।

बैठक में दिये गये निदेशों का अनुपालन प्रतिवेदन 15 दिनों के अन्दर विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

ह०/-

(बी0 सी0 निगम)
विशेष सचिव

ज्ञापांक :– 2/PMC/कार्य–94/11......371......राँची, दिनांक :– 3.5.2013

प्रतिलिपि : मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, धुर्वा, राँची/मुख्य अभियंता यांत्रिक, जल संसाधन विभाग, राँची/संयुक्त सचिव (अभि०)/ संयुक्त सचिव (प्रबन्धन)/उप सचिव, मुख्यालय, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, राँची/अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, गुमला/अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, चाईबासा/अधीक्षण अभियंता, सिंचाई यांत्रिक

अंचल राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना एंव मोनिटरिंग अंचल-1, 2 एवं 3 जल संसाधन विभाग राँची/अधीक्षण अभियंता, रूपांकण, आयोजन एवं मोनिटरिंग अंचल, राँची/विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी, राँची को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु प्रेषित। (email से)

ह0/-

**(अशोक कुमार)**
मुख्य अभियंता

**ज्ञापांक :- 2/PMC/कार्य-94/11..........................................राँची, दिनांक :- ..................**

**प्रतिलिपि :** महामहिम राज्यपाल के सलाहकार (जल संसाधन) के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची/विशेष सचिव के निजी सहायक, जल संसाधन विभाग, राँची/ अभियंता प्रमुख-I, के निजी सहायक, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

**(अशोक कुमार)**
मुख्य अभियंता

**ज्ञापांक :- 2/PMC/कार्य-94/11...371...........................राँची, दिनांक :- 3.5.2013**

**प्रतिलिपि :**वेब मैनेजर, वेबसाईट, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर up load करने हेतु प्रेषित।

3/5/13

**(अशोक कुमार)**
मुख्य अभियंता